Transportation Security Administration

(TWIC प्रकटीकरण और प्रमाणीकरण)

निर्देशः यदि आपको परिवहन कामगार पहचान प्रत्ययपत्र [Transportation Worker Identification Credential] (TWIC) प्राप्त करना आवश्यक हो, तो आपको सुरक्षा आशंका का निर्धारण कराना ज़रूरी है। यह निर्धारण कराने के लिए सभी आवेदकों को चाहिए कि वे भर्ती प्रक्रिया के अंर्तगत अपनी पहचान व आप्रवासी स्थिति (यदि लागू हो) सत्यापित करने के लिए नीचे प्रार्थित जानकारी और उचित दस्तावेज़ीकरण प्रदान करें। पूर्ण किए गए फॉर्म भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत में स्वयं उपस्थित होकर देने चाहिए। यदि आपको शुरूआत में अयोग्य ठहराया जाता है तो भी आप TWIC के लिए योग्य *हो सकते* हैं और आपको अधित्याग के लिए आवेदन करना चाहिए जिससे आपको अपनी योग्यता का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज़ीकरण प्रस्तुत करने का मौका मिल सके। अधित्याग के लिए आवेदन करने से पहले आपको *आशंका निर्धारण के प्रारम्भिक निश्चयन* (IDTA) पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अनुभाग I – प्रकटीकरण

भाग A. स्वीकृतियाँ – प्रत्येक कथन की समीक्षा करें और **हाँ** या **नहीं** में से जो उचित हो उस पर सही का निशान लगा कर उत्तर दें।

1. मेरी नौकरी के कर्तव्यों के अंतर्गतः
   - मुझे ऐसे समुद्री या जलयान संबंधी सुरक्षित क्षेत्रों में गैर अनुरक्षित प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है या पड़ने की प्रबल संभावना हो सकती है जिसमें TWIC की ज़रूरत होती है। ☐ हाँ ☐ नहीं
   - मैं इस समय प्रत्ययपत्र प्राप्त वाणिज्यिक नाविक हूँ या प्रत्ययपत्र प्राप्त वाणिज्यिक नाविक बनने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ; या
   - मैं कनाडा या मेक्सिको में जोखिम–भरी सामग्री ढोने और/या यू.एस. में व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक ड्राईवर हूँ।
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मैं भर्ती के दौरान CG द्वारा जारी किए गए नाविक प्रत्ययपत्र के लिए आवेदन करने या उसका नवीनीकरण कराने का सोचता/सोचती हूँ, पर मैं अपना सोशियल सिक्युरिटी नंबर और नागरिकता का प्रमाण नहीं देता/देती, तो CG द्वारा जारी किए गए नाविक प्रत्ययपत्र के लिए मेरा आवेदन तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि मैं यह जानकारी प्रदान करने के लिए CG के क्षेत्रीय परीक्षा केन्द्र पर नहीं जाता/जाती। ☐ हाँ ☐ नहीं
3. मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि यदि TSA या अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेन्सियाँ निश्चित करती हैं कि मुझ से राष्ट्रीय सुरक्षा या परिवहन सुरक्षा को सन्निकट खतरा है, तो मेरे नियोक्ता को सूचित किया जा सकता है। TSA फैसिलिटी या जलयान को सीमित जानकारी दे सकती है। **टिप्पणीः** FBI की रॅप शीट्स नियोक्ताओं को नहीं दी जायेंगी। ☐ हाँ ☐ नहीं
4. मैं समझता/समझती हूँ कि चूँकि TWIC दृश्य पहचान बैज का काम करता है, इसलिए मेरा फ़ोटो लिये जाने के समय मेरे चेहरे का कोई भी हिस्सा वस्तुओं या कपड़ों से ढ़का नहीं होना चाहिए। इसके फलस्वरूप मैं स्वीकार करता/करती हूँ किः ☐ हाँ ☐ नहीं
   - यदि प्रतिदिन धार्मिक कारणों से पहनी नहीं गई हो, तो मैं पगड़ी या टोपी उतार दूँगा/दूँगी।
   - यदि मुझे मेडिकल कारणों से हर समय पहनने ज़रूरी न हो, तो मैं काले या बिना नंबर के चश्मे उतार दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा है तो मेडिकल प्रमाणपत्र की ज़रूरत पड़ सकती है।
5. मैंः ☐ हाँ ☐ नहीं
   - यू.एस. का नागरिक या राष्ट्रिक हूँ।
   - यू.एस. का नागरिक या राष्ट्रिक नहीं हूँ, परन्तु पृष्ठ 3 पर दी गई श्रेणी से हूँ जो मुझे TWIC का धारक होने की अनुमति देती है।
6. मैं इस समय TWIC धारक नहीं हूँ। ☐ हाँ ☐ नहीं

भाग B. आपराधिक इतिहास – प्रत्येक कथन की समीक्षा करें और **हाँ** या **नहीं** में से जो उचित हो उस पर सही का निशान लगा कर उत्तर दें। *(अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 4 देखें)*

1. मेरे जीवन में किसी भी समय (किशोर आयु के मामलों को छोड़कर जब तक कि वयस्क के रूप में दोषी सिद्ध न हुए हों), मुझे दोषी सिद्ध किया गया था या मैंने दोषी होना स्वीकार किया था ("प्रतिवाद नहीं" करने सहित) या मुझे असैनिक या सैनिक अदालत में पागलपन के कारण निम्न महापराधों में से एक या अधिक का दोषी नहीं पाया गयाः ☐ हाँ ☐ नहीं
   - जासूसी करने या जासूसी करने का षड्यंत्र रचने का;
   - राजद्रोह या राजद्रोह करने का षड्यंत्र रचने का;
   - देशद्रोह या देशद्रोह करने का षड्यंत्र रचने का; या
   - 18 U.S.C. 2332(g) या तुलनीय राज्य कानून में परिभाषित आतंकवाद के संघीय अपराध का।

   टिप्पणीः यदि आपका उत्तर "हाँ" है, तो आप TWIC और/या अधित्याग प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।
2. मेरे जीवन में किसी भी समय (कि ोर आयु के मामलों को छोड़कर जब तक कि वयस्क के रूप में दोषी सिद्ध न हुए हों), मुझे दोषी सिद्ध किया गया था या मैंने दोषी होना स्वीकार किया था ("प्रतिवाद नहीं" करने सहित) या मुझे असैनिक या सैनिक अदालत में पागलपन के कारण निम्न महापराधों में से एक या उससे अधिक का दोषी नहीं पाया गयाः ☐ हाँ ☐ नहीं
   - परिवहन सुरक्षा की घटना से संबंधित अपराध;
   - जोखिम–भरी सामग्री को अनुचित ढंग से ढोना;
   - विस्फोटक या विस्फोटक उपकरण गैर–कानूनी ढंग से अपने पास रखना, उसका प्रयोग, विक्रय, वितरण, उत्पादन, खरीद...या लेन–देन;
   - हत्या;
   - सार्वजनिक, सरकारी, सार्वजनिक परिवहन या आधार–तंत्रीय सुविधा में विस्फोटक या अन्य घातक उपकरण की सुपुर्दगी, स्थानन या विस्फोट से संबंधित धमकी देना या झूठी विदित होते हुए भी दुर्भावना से झूठी जानकारी देना;
   - RICO अधिनियम के उल्लंघन जहाँ प्रतिपादित कार्य को विधेय अधिनियम भाग B1 और B2 में अपराध बताया गया है;
   - भाग B1 और B2 में दिये गये अपराध को करने का प्रयत्न करना; या
   - भाग B2 में दिए गए अपराध का षड्यंत्र रचना या अपराध करने का प्रयत्न करना;
3. पिछले 7 वर्ष में, मुझे दोषी सिद्ध किया गया था या मैंने दोषी होना स्वीकार किया था ("प्रतिवाद नहीं" करने सहित) या मुझे असैनिक या सैनिक अदालत में पागलपन के कारण निम्न महापराधों में से एक या उससे अधिक का दोषी नहीं पाया गयाः ☐ हाँ ☐ नहीं

इस फॉर्म के पहले संस्करण अप्रयुक्त हैं।

- आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार गैर कानूनी ढंग से अपने पास रखना, उसका प्रयोग, विक्रय, उत्पादन, खरीद, वितरण...या लेन–देन;
- जबरन वसूली;
- बेईमानी, धोखाधड़ी, या मिथ्या विवरण जिसमें पहचान संबंधी धोखाधड़ी और अवैध धन को वैध बनाना शामिल है (कल्याण प्रणाली संबंधी धोखाधड़ी और गलत चेक पास करने को छोड़कर);
- रिश्वतखोरी;
- तस्करी;
- आप्रवासन सम्बन्धी उल्लंघन;
- नियंत्रित पदार्थों का वितरण, उन्हें वितरण हेतु रखना या आयात करना;
- आगज़नी;
- अपहरण करना या बंदी बनाना;
- बलात्कार या उग्र यौन दुर्व्यवहार;
- हत्या के इरादे से हमला;
- डकैती;
- धोखाधड़ी से बन्दरगाह में प्रवेश;
- RICO; या
- भाग B3 में दिए गए अपराध का षड्यंत्र रचना या अपराध करने का प्रयत्न करना;

4. पिछले 5 वर्ष में, मुझे भाग B3 में दिए गए महापराध का दोषी सिद्ध होने के बाद जेल से छोड़ा गया था।	☐ हाँ	☐ नहीं
5. भाग B1 से लेकर B3 में दिए गए महापराध के लिए असैनिक या सैनिक अदालत को मेरी तलाश है या मुझे दोषी ठहराया गया है।	☐ हाँ	☐ नहीं
6. किसी असैनिक या सैनिक अदालत ने मुझमें मानसिक क्षमता का अभाव पाया है या मुझे किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में अनैच्छिक रूप से भर्ती कराया गया है।	☐ हाँ	☐ नहीं
टिप्पणीः भाग B2 से लेकर B6 में दिए गए अपराध / महापराध के लिए यदि आपका उत्तर "हाँ" है, तो आप अधित्याग के योग्य हैं और आपको अभी भी TWIC जारी किया जा सकता है। यदि पहले TWIC के लिए मना किया गया था, तो क्या आप अधित्याग के लिए आवेदन करेंगे / करेंगी?	☐ हाँ	☐ नहीं

7. मैं समझता / समझती हूँ कि मुझे प्रत्ययपत्र पर दिए गए पते पर मेरा TWIC लौटाना होगा, यदिः
- भाग B1 से लेकर B3 में दिए गए महापराध के आरोप के तहत मेरी तलाश है, मेरा दोष सिद्ध हुआ है, या पागलपन के कारण मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है;
- मुझमें मानसिक क्षमता का अभाव पाया गया है या मुझे किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में अनैच्छिक रूप से भर्ती कराया गया है; या
- भाग A5 में "हाँ" उत्तर देने से अब मैं आप्रवासन के मानकों पर खरा नहीं उतरता / खरी नहीं उतरती हूँ।

अनुभाग II – प्रमाणीकरण

तिथि के साथ अपना नाम लिखकर और हस्ताक्षर करके कृपया इस फॉर्म में दिए गए उत्तरों की समीक्षा करें और उन्हें प्रमाणित करें। यदि सहायता प्रदान की गई है / अनुवाद द्वारा सहायता की गई है, तो अनुवर्ती कार्यवाही ज़रूरी होने पर सहायक / अनुवादक की संपर्क सूचना आवश्यक है। **आवेदकों और सहायकों / अनुवादकों द्वारा इस फॉर्म में जानबूझकर किया गया झूठा कथन या महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ देना उन्हें दण्ड या कैद या दोनों का भागी बनाता है (देखें 18 U.S.C. 1001), तथा यह TWIC न मिलने का कारण हो सकता है।**

आवेदकः जहाँ तक मुझे पता है और विश्वास है, मेरे द्वारा इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सच्ची है तथा सद्भावना से दी गई है।	**सहायक / अनुवादकः** मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने नामित आवेदक के निवेदन पर इस फॉर्म को पूरा करने में सहायता की है; दिये गये उत्तर मेरे पास जो जानकारी है उसके या आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार से दिए गए हैं; और आवेदक द्वारा मेरी उपस्थिति में आवेदन पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने सत्यापन के लिए वह जो भाषा अच्छी तरह बोलता / बोलती है उसमें पूरा किया गया फॉर्म उसे पढ़कर सुनाया है।
TWIC आवेदक का नाम साफ अक्षरों में	*सहायक / अनुवादक का नाम साफ अक्षरों में*
TWIC आवेदक के हस्ताक्षर *तिथि*	*सहायक / अनुवादक के हस्ताक्षर* *तिथि*
	दिवसीय फ़ोन
	पता *एपार्टमेंट #*
	शहर, राज्य, ज़िप (पिन कोड)

गोपनीयता अधिनियम विवरणः प्राधिकारः यह जानकारी इकट्ठी करने का 49 U.S.C. 114, 40113 और 5103a के अंतर्गत प्राधिकार है। **मुख्य उद्देश्यः** यह जानकारी आपकी पहचान सत्यापित करने और TWIC के लिए आपकी योग्यता का मूल्यांकन करने हेतु सुरक्षा आशंका का निर्धारण करने के लिए ज़रूरी है। आपका SSN या अन्य देशीय पंजीकरण नंबर सहित यह जानकारी देना ऐच्छिक है; तथापि, इसे न देने से आपके सुरक्षा आशंका के निर्धारण में देर हो सकती है और हो सकता है कि इसे पूरा न किया जा सके। जो व्यक्ति नाविक हैं या नाविक बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए SSN अनिवार्य है, नहीं तो आवेदन पूरा करने के लिए उन्हें यह जानकारी देने के लिए कोस्ट गार्ड क्षेत्रीय परीक्षा केन्द्र जाना पड़ेगा। **सामान्य उपयोगः** इस जानकारी के सामान्य उपयोग में शामिल है आपके आपराधिक इतिहास का अभिलेख प्राप्त करने के लिए FBI के समक्ष; सुरक्षा आशंका निर्धारणों संबंधी सेवाएँ देने वाले TSA ठेकेदारों या अन्य एजेन्टों के समक्ष; लाइसेंसिंग, कानूनी प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उप्युक्त सरकारी एजेन्सियों के समक्ष; या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में; और कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों के समक्ष जानकारी का प्रकटीकरण।

कागज़ी कार्यवाही घटाव अधिनियम विवरणः सार्वजनिक दायित्व का विवरणः TSA यह जानकारी TWIC के लिए आपकी योग्यता निश्चित करने के लिए इकट्ठी कर रही है। यह जानकारी का ऐच्छिक एकत्रीकरण है, पर जानकारी न देने से हो सकता है कि TWIC के लिए आपकी योग्यता का अनुमोदन नहीं किया जा सके। TSA का अनुमान है कि भर्ती के लिए इस एकत्रीकरण से जुड़ा प्रति उत्तर कुल औसत दायित्व करीब 90 मिनट है। जब तक कोई एजेन्सी मान्य OMB नियंत्रण नंबर नहीं दर्शाती, तब तक वह जानकारी का एकत्रीकरण नहीं कर सकती है या उसे प्रायोजित नहीं कर सकती है, और किसी व्यक्ति के लिए इसका उत्तर देना ज़रूरी नहीं है। इस एकत्रीकरण को दिया गया नियंत्रण नंबर OMB 1652–0047 है, जो कि 07 / 31 / 2011 को समाप्त होता है।

इस फॉर्म के पहले संस्करण अप्रयुक्त हैं।

मैं अमेरिका का/की नागरिक या राष्ट्रिक नहीं हूँ, परन्तु नीचे दी गई श्रेणी से हूँ जो मुझे TWIC का धारक होने की अनुमति देती है

1. यू.एस. का/की स्थायी कानूनी निवासी।
2. 8 U.S.C. 1157 के अंतर्गत रहने की अनुमति प्राप्त शरणार्थी।
3. अन्य देशीय जिसे 8 U.S.C. 1158 अंतर्गत शरण दी गई है।
4. यू.एस. वाणिज्यिक नाविक शिक्षा संस्थान [U.S. Merchant Marine Academy] या तुलनीय राज्य नाविक अकादमी में भर्ती मान्य M-1 गैर आप्रवासी स्थिति वाला/वाली अन्य देशीय।
5. माइक्रोनेशिया, मार्शल आईलैंड्स या पलाउ का नागरिक।
6. कनाडा या मेक्सिको में जोखिम–भरी सामग्री ढोने के लिए लाइसेंस प्राप्त या 8 CFR 214.2(b)(4)(i)(E) के अंतर्गत यू.एस. में व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त वाणिज्यिक ड्राईवर।
7. यू.एस. में काम करने का *अप्रतिबंधित* अधिकार प्राप्त निम्न वीज़ा में से एक का धारक अन्य देशीय:
   - A-1: द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, किसी राजदूत,, लोक मंत्री, कैरियर कूटनीतिज्ञ, वाणिज्य दूत अधिकारी, राज्याध्यक्ष के परिवार के निकटतम सदस्य ;
   - A-2: द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, अमेरिका आने वाले अन्य विदेशी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी, जिसमें A-1 के तकनीकी और सहायक कर्मचारीगण शामिल हैं;
   - A-13: पारिवारिक एकता;
   - E-1: सन्धि व्यापारी का/की पति/पत्नी और आश्रित बच्चे;
   - E-2: सन्धि निवेशक का/की पति/पत्नी या सन्धि निवेशक के पति/पत्नी का कर्मचारी;
   - G-1: द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मान्यताप्राप्त विदेशी सदस्य सरकार के मुख्य निवासी प्रतिनिधि के परिवार का निकटतम सदस्य और कर्मचारीगण;
   - G-3: द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, किसी गैर मान्यताप्राप्त या गैर सदस्य विदेशी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि के परिवार का निकटतम सदस्य;
   - G-4: द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी या कर्मचारी के परिवार का निकटतम सदस्य ;
   - J-2: किसी विनिमय आगंतुक का/की पति/पत्नी या अवयस्क संतान;
   - K-3: यू.एस. नागरिक का/की पति/पत्नी (LIFE अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत);
   - K-4: K-3 की संतान;
   - L-2: L-1 का/की पति/पत्नी या संतान;
   - N-8: SK-3 "विशेष आप्रवासी" वर्गीकृत अन्य देशीय की/का माता/पिता;
   - N-9: N-8, SK-1, SK-2, या SK-4 "विशेष आप्रवासी" की संतान;
   - निम्न वीज़ा प्रकारों के लिए द्विपक्षीय समझौते के लागू होते, उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन (NATO) के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के परिवार के निकटतम सदस्यः
     – NATO-1
     – NATO-2
     – NATO-3
     – NATO-4
     – NATO-5
     – NATO-6
   - S-7: साक्षी या मुख़बिर का/की पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्रियाँ, और माता–पिता;
   - T-1: व्यक्तियों के कठोर प्रकार के अवैध व्यापार से उत्पीड़ित व्यक्ति;
   - T-2: व्यक्तियों के कठोर प्रकार के अवैध व्यापार से उत्पीड़ित व्यक्ति का/की पति/पत्नी;
   - T-3: व्यक्तियों के कठोर प्रकार के अवैध व्यापार से उत्पीड़ित व्यक्ति की संतान;
   - T-4: व्यक्तियों के कठोर प्रकार के अवैध व्यापार से उत्पीड़ित व्यक्ति की/का माता/पिता (यदि T-1 21 वर्ष से कम उम्र का हो);
   - T-5: 21 वर्ष से कम उम्र वाले T-1 का 18 वर्ष से कम उम्र का/की अविवाहित भाई/बहन;
   - U-1: किसी आपराधिक क्रियाकलाप से उत्पीड़ित व्यक्ति;
   - U-2: U-1 का/की पति/पत्नी;
   - U-3: U-1 की संतान;
   - U-4: U-1 की/का माता/पिता (यदि U-1 21 वर्ष से कम उम्र का हो);
   - U-5: 21 वर्ष से कम उम्र वाले U-1 का 18 वर्ष से कम उम्र का/की अविवाहित भाई/बहन;
   - V-1: LPR का/की पति/पत्नी जो परिवार–आधारित किसी ऐसी याचिका का/की मुख्य हितग्राही है जो 21 दिसम्बर, 2000 से पहले दायर की गई हो और जो कम से कम 3 वर्ष से विचाराधीन हो ;
   - V-2: LPR की संतान जो परिवार–आधारित किसी ऐसी वीज़ा याचिका की मुख्य हितग्राही है जो 21 दिसम्बर, 2000 से पहले दायर की गई हो और जो कम से कम 3 वर्ष से विचाराधीन हो;
   - V-3: V-1 या V-2 की व्युत्पन्न संतान; *या*
   - TPS: अस्थायी रक्षित स्थिति (TPS)।
8. यू.एस. में काम करने का *प्रतिबंधित* अधिकार प्राप्त निम्न वीज़ा में से एक का धारक अन्य देशीय:
   - B1-OCS: व्यवसायी आगंतुक/बाह्य कोंटिनेन्टल शेल्फ (OCS);
   - C-1/D: पारगमन और कर्मी का सम्मिलित वीज़ा;
   - E-1 (मुख्य): सन्धि व्यापारी या सन्धि व्यापारी का कर्मचारी;
   - E-2 (मुख्य): सन्धि निवेशक या सन्धि निवेशक का कर्मचारी;
   - E-3: विशेषता वाले व्यवसायों में कार्यरत पति/पत्नी सहित ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रिक;
   - H-1B: विशेषता वाले व्यवसाय;
   - L-1A: कार्यपालक, प्रबन्धकीय (कम्पनी के अन्दर ही बदली पर गये हुए);
   - L-1B: विशेषज्ञ ज्ञानधारी व्यवसायी;
   - M-3: कनाडाई या मेक्सिकन राष्ट्रीय दैनिक यात्री विद्यार्थी;
   - O-1A: विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या ऐथलेटिक्स में असाधारण निपुणता;
   - O-1B: फिल्मों और/या टेलिविजन प्रोडक्शन्स में असाधारण उपलब्धि; *या*
   - TN: उन कनाडाई और मेक्सिकन व्यापारियों के लिए व्यापारिक वीज़ा जो उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) के अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलाप करना चाहते हैं।

टिप्पणीः अप्रतिबंधित काम का अधिकार देने वाले निम्न वीज़ा प्रकारों को TWIC प्राप्त करने की अनुमति नहीं हैः
- S-5: आपराधिक संगठन की जानकारी देने वाला मुख़बिर;
- S-6: आतंकवाद की जानकारी देने वाला मुख़बिर;
- K-1: यू.एस. नागरिक का/की मँगेतर; *या*
- K-2: K-1 की अवयस्क संतान।

इस फॉर्म के पहले संस्करण अप्रयुक्त हैं।

अयोग्य ठहराने वाले दाण्डिक अपराध (49 C.F.R. 1572.103)

कॉलम ***A***	*कॉलम* ***B***
निम्न महापराधों में से एक के लिए भी दोषी सिद्ध होना अयोग्य ठहराता है, चाहे यह किसी भी समय हुआ हो, और आवेदक अधित्याग के योग्य नहीं होता।	***निम्न महापराधों में से एक के लिए भी दोषी सिद्ध होना अयोग्य ठहराता है, यदि आवेदक को TWIC के आवेदन की तिथि के 7 वर्षों के अंदर दोषी सिद्ध किया गया हो, उसने दोषी होना स्वीकार किया हो ("प्रतिवाद नहीं" करने सहित), पागलपन के कारण दोषी नहीं ठहराया गया हो; या यदि आवेदक को दोषी सिद्ध होने के बाद आवेदन की तिथि के 5 वर्षों के अंदर जेल से छोड़ दिया गया हो। आवेदक अधित्याग के लिए आवेदन कर सकता है।***
1. जासूसी या जासूसी करने का षड्यंत्र।	1. आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार को गैर कानूनी ढंग से अपने पास रखना, उसका प्रयोग, विक्रय, उत्पादन, खरीद, वितरण, प्राप्ति, हस्तांतरण, पोत परिवहन, ढोना, सुपुर्दगी, आयात, निर्यात या लेन–देन। आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार में 18 U.S.C. 921(a)(3) या 26 U.S.C. 5845(a) में परिभाषित, आग्नेयास्त्र शामिल हैं, या 27 CFR 447.21 में यू.एस. युद्ध–सामग्री आयात सूचि में दी गई वस्तुएं शामिल हैं, पर ये इन्हीं तक सिमित नहीं है।
2. देशद्रोह या देशद्रोह करने का षड्यंत्र।	2. जबरन वसूली।
3. राजद्रोह या राजद्रोह करने का षड्यंत्र।	3. पहचान संबंधी धोखाधड़ी और अवैध धन को वैध बनाने सहित बेईमानी, धोखाधड़ी, मिथ्या विवरण, जहाँ अवैध धन को वैध बनाना कॉलम A या B में वर्णित अपराध से संबंधित हो। कल्याण तंत्र संबंधित धोखाधड़ी और बाउन्स होने वाले चेक देना इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए बेईमानी, धोखाधड़ी, या मिथ्या विवरण नहीं है।
4. 18 U.S.C. 2332b(g) या तुलनीय राज्य कानून में परिभाषित आतंकवाद का संघीय अपराध, या ऐसा अपराध करने का षड्यंत्र।	4. रिश्वतखोरी।
निम्न महापराधों में से एक के लिए भी दोषी सिद्ध होना अयोग्य ठहराता है, चाहे यह किसी भी समय हुआ हो, और आवेदक अधित्याग के लिए आवेदन कर सकता है।	5. तस्करी।
5. परिवहन सुरक्षा सम्बन्धी घटना से संबंधित अपराध। परिवहन सुरक्षा सम्बन्धी घटना एक ऐसी सुरक्षा सम्बन्धी घटना है जिसके परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जान हानि, पर्यावरण सम्बन्धी हानि, परिवहन तंत्र में बाधा या आर्थिक बाधा उत्पन्न होती है, जैसा कि 46 U.S.C. 70101 में परिभाषित है। "आर्थिक बाधा" शब्द में काम बंद होना या कर्मचारी संबंधी ऐसी अन्य कार्यवाही नहीं शामिल है, जो कि आतंकवाद से संबंधित न हो और जो नियोक्ता–कर्मचारी झगड़े के परिणामस्वरूप हुई हो।	6. आप्रवासन सम्बन्धी उल्लंघन।
6. 49 U.S.C. 5124 या तुलनीय राज्य कानून के अंतगर्त जोखिम–भरी सामग्री का अनुचित ढंग से ढोना।	7. नियंत्रित पदार्थ का वितरण, वितरण हेतु रखना या उसका आयात।
7. किसी विस्फोटक या विस्फोटक उपकरण को गैर कानूनी ढंग से अपने पास रखना, उसका प्रयोग, विक्रय, वितरण, उत्पादन, खरीद, प्राप्ति, हस्तांतरण, पोत परिवहन, ढोना, आयात, निर्यात, भंडारण या लेन–देन। विस्फोटक या विस्फोटक उपकरण में शामिल है 18 U.S.C. 232(5), 841(c) से लेकर 841(f), और 844(j) में परिभाषित विस्फोटक या विस्फोटक सामग्री; तथा 18 U.S.C. 921(a)(4) और 26 U.S.C. 5845(f) में परिभाषित विनाशकारी उपकरण।	8. आगज़नी।
8. हत्या।	9. अपहरण करना या बंदी बनाना।
9. सार्वजनिक उपयोग के स्थल, राज्य या सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन तंत्र, या आधार–तंत्रीय सुविधा में या उनके खिलाफ विस्फोटक या अन्य घातक उपकरण की सुपुर्दगी, स्थानन या विस्फोट से संबंधित धमकी देना या झूठी विदित होते हुए भी दुर्भावना से झूठी जानकारी देना।	10. बलात्कार या उग्र यौन दुर्व्यवहार।
10. धोखेबाज़ व्यापारी प्रभावित एवं भ्रष्ट संगठन अधिनियम [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act], 18 U.S.C. 1961, या तुलनीय राज्य कानून के उल्लंघन, जिसमें जूरी द्वारा पाए गए या प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए एक विधेय अधिनियम में कालम A में दिए गए अपराधों में से कोई एक अपराध शामिल हो।	11. हत्या के इरादे से हमला।
11. कॉलम A, मद 1 – 4 में दिए गए अपराध करने की कोशिश करना।	12. डकैती।
12. कॉलम A, मद 5 – 10 में दिए गए अपराध करने की कोशिश करना या उन्हें करने का षड्यंत्र रचना।	13. 18 U.S.C. 1036 या तुलनीय राज्य कानून में वर्णित किये गये अनुसार धोखाधड़ी से बन्दरगाह में प्रवेश ।
	14. कॉलम A, मद 10 में दिए गए उल्लंघनों को छोड़कर, धोखेबाज़ व्यापारी प्रभावित एवं भ्रष्ट संगठन अधिनियम, 18 U.S.C. 1961,, या तुलनीय राज्य कानून के उल्लंघन।
	15. कॉलम B में दिए गए महापराध करने की कोशिश करना या उन्हें करने का षड्यंत्र रचना।

इस फॉर्म के पहले संस्करण अप्रयुक्त हैं।